रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 1969/श्रावण 3, 1891

No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 1969/SRAVANA 3, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th July 1969

S.O. 3031.—In pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, the Election Commission, in consultation with the Central Government, hereby appoints the Secretary to the Rajya Sabha, having his office in the Parliament House in New Delhi, as the Returning Officer for the purposes of the Vice-Presidential election to fill the vacancy in the office of the Vice-President which has occurred by reason of the resignation of Shri V. V. Giri.

[No. 480/1/69(1).]

S.O. 3032.—In pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, the Election Commission hereby appoints Shri P. N. Krishna Mani, Deputy Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi, as the Assistant Returning Officer for the purposes of the Vice-Presidential election to fill the vacancy in the office of the Vice-President which has occurred by reason of the resignation of Shri V. V. Giri.

[No. 480/1/69(2).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनायें

नई दिल्ली, 25 जुलाई 1969

एस० ओ० 3033.—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, श्री वी० वी० गिरि के त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण हुई उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिये उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए राज्य सभा के सचिव को, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में संसद भवन में है, एतद्द्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है ।

[सं० 480/1/69(1).]

एस० ओ० 3034.—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग श्री वी० वी० गिरि के त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण हुई उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए, श्री पी० एन० कृष्ण मणि, उप-सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली को एतद्द्वारा सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है ।

[सं० 480/1/69(2).]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969